

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, कटिहार के ज्ञापक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) एवं 02 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 60000/- (साठ हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 160000/- (एक लाख साठ हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिला पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का व्योरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० दिलीप राम, श्री सुरेश राम, अनु० जाति	श्रीमती कुसमी देवी(पत्नी)	1147/17. 11.2018	ग्रा०-बनगामा, पो०-चौकी हरिपुर, था०+प्र०-कदवा, कटिहार	3684360 2411	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भर्ती दुर्गागंज SBIN0008391	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, चर्म वस्तु निर्माण(मोची) का कार्य
2	स्व० दिनेश ऋषि, श्री शिव चरण ऋषि, अनु० जाति	श्रीमती सुदामा देवी(पत्नी)	1168/22. 11.2018	ग्रा०-बनगामा, पो०-चौकी हरिपुर, था०+प्र०-कदवा, कटिहार	3508812 5699	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भर्ती दुर्गागंज SBIN0008391	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, पशुचराने(चरवाही) का कार्य
3	स्व० गोपाल प्रसाद मंडल, श्री गुरु चरण मंडल, अ० पि० वर्ग	श्रीमती सुमित्रा देवी(पत्नी)	28/7.1. 2019	ग्रा०-खैरा, पं०-गरभेली, पो०-डंडखोर, था०-मु० कटिहार, प्र०+जि०-कटिहार	1299010 0002313 6	इण्डियन ओवरसीज बैंक, कटिहार IOBA0001299	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, भवन निर्माण संबंधित कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 160000/-

(एक लाख साठ हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० स०-39/2018 के पृष्ठ-06/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-39/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)


कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-39/2018 - 62


पटना, दिनांक :- 11.02.2019

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 160000/- (एक लाख साठ हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी


(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी


(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।